रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11 , 1938

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सा.का.नि. 377(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेस परिषद् नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रेस परिषद् नियम, 1979 के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त, गैर सरकारी सदस्य 10,000 रुपए प्रतिमाह की सीमा के अधीन रहते हुए 1,000 रुपए प्रतिदिन की बैठक फीस के हकदार होंगे और इसके अतिरिक्त इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे गैर सरकारी सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या संगठन में नियोजित नहीं किए जाएंगे और ऐसी संस्था या संगठन से वेतन प्राप्त नहीं करेंगे ।";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(2) परिषद् के ऐसे सदस्य जो स्थानीय रूप से परिषद् के कार्य में उपस्थित होते हैं 8,00 रुपए प्रतिदिन की सीमा के अधीन रहते हुए वास्तविक आधार पर प्रवहण भत्तों के हकदार होंगे ।"।

[फा. सं. एम. 22011/4/2013-प्रेस]

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 286, तारीख 8 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 940, तारीख 20 नवंबर, 1982, सा.का.नि. 622(अ), तारीख 16 मई, 1988 और सा.का.नि. 37(अ), तारीख 27 जनवरी, 1997 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government after consulting the Press Council of India, hereby makes the following rules further to amend the Press Council Rules, 1979, namely: -

1. (1) These rules may be called the Press Council (Amendment) Rules, 2016.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Press Council Rules, 1979, in rule 4,-

 (a) in sub-rule (1), for clause (iv), the following shall be substituted:-

 "(iv) In addition to the above, the non-official members shall be entitled to a sitting fee of Rs. 1,000/- per day, subject to a ceiling of Rs. 10,000/- per month and further subject to the condition that such non-official members shall not be employed in any institution or organisation funded by the Government and drawing salary from such institution or organisation.";

 (b) for sub-rule (2), the following shall be substituted,-

 "(2) Those members of the Council who attend the work of the Council locally, shall be entitled to conveyance charges on actual basis subject to a ceiling of Rs. 800/- per day.".

[F. No. M-22011/4/2013-Press]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 286, dated the 8th February, 1979 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 940, dated the 20th November, 1982, G.S.R. 622(E), dated the 16th May, 1988 and G.S.R. 37(E), dated the 27th January, 1997.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.